न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **95/2024** दायर दिनाँक **16.05.2024**

वादीगण

1. भंवरी देवी पत्नी स्व. रामनिवास
2. विनोद पुत्र स्व. रामनिवास
3. विनित पुत्र स्व. रामनिवास
4. विकास पुत्र स्व. रामनिवास
5. निकिता पुत्री स्व. रामनिवास
6. बबिता पुत्री स्व. रामनिवास
7. भगवती देवी पत्नी स्व. मदनलाल
8. बजरंग लाल पुत्र स्व. मदनलाल
9. रामोतार उर्फ रामावतार पुत्र स्व. मदनलाल
10. सुरेश जांगिड़ पुत्र स्व. मदनलाल
11. रामेश्वर जांगिड़ पुत्र स्व. मदनलाल
12. धनी पुत्री स्व. मदनलाल
13. मंजू देवी पुत्री स्व. मदनलाल
14. बेगराज पुत्र स्व. मूलचन्द
15. रामदयाल पुत्र स्व. मूलचन्द
16. विमला पुत्री स्व. मूलचन्द
17. रघुलाल पुत्र स्व. नानूराम

समस्त जाति खाती (जांगिड़) निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हजारीलाल उर्फ हजारीराम पुत्र स्व. श्योचन्दराम
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. मूलचन्द
3. बनवारी पुत्र स्व. मूलचन्द

   समस्त जाति खाती (जांगिड़) निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
4. श्रवणलाल जांगिड़ पुत्र श्री हीरालाल जांगिड़ जाति जांगिड़ निवासी कुचामन रोड़ पदमानियां बास, डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
5. यूको बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा डीडवाना।
6. तहसीलदार, डीडवाना।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा– 53,88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री जमन लाल जांगिड़ वकील वादीगण।
2. श्री जगदीश गिरी वकील प्रतिवादी संख्या 1

–:: अन्तिम निर्णय ::–

दिनाँक **23.09.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाकै सरहद दौलतपुरा के नये खेत खसरा संख्या 794 रकबा 9.1000 है, तथा खसरा संख्या 795 रकबा 1.3400 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **09.06.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: प.1(12)रीडर/2025/398 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा [illegible] पक्षकारान् सुनी गयी विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित [illegible] जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन [illegible] करने हेतु [illegible] है [illegible] बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना [illegible] प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(12)रीडर/2025/398 दिनांक 31.07.2025 [illegible] स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:28 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

राजस्व ग्राम सरहद दौलतपुरा के नये खेत खसरा संख्या 794 रकबा 9.1000 है. तथा खसरा संख्या 795 रकबा 1.3400 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/398 दिनांक 31.07.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/398 दिनांक 31.07.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 23.09.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:28 IST
Reason: SelfAttested